''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।''

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 10

इस्लाम और अतिथि-सत्कार

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और अतिथि-सत्कार

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

इस्लाम के चरित्र में भाईचारा एवं सहानुभूति है और समस्त संसार के लिये प्रेम का संदेश है, इसलिये उसकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण एवं आदर्श संदेश यह है कि वह अपने मानने वालों को पूरी मानव जाति के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम, आदर-सत्कार, सहानुभूति, एक दूसरे की देखभाल, अतिथि-सत्कार और निमंत्रण स्वीकार करने पर ज़ोर देता है, माल ख़र्च करने और हर एक के साथ नि:स्वार्थता की प्रेरणा देता है।

अल्लाह तआला फ़रतमाता है:

﴿وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾ (سورة الذاريات:19)

''और उनके माल में मांगने वालों और वंचितों का अधिकार है।''

'सायल' अर्थात मांगने वाले से आशय वह ग़रीब ज़रूरतमंद है जो अपनी स्थिति लोगों के सामने ज़ाहिर कर देता है, और लोग उसकी सहायता करते हैं, और 'महरूम' अर्थात वंचित से आशय वह व्यक्ति है जो ग़रीब और ज़रूरतमंद होने

के बावजूद गरिमा के कारण अपनी स्थिति किसी पर ज़ाहिर नहीं करता है, इसलिये लोगों की सहायता से वंचित रहता है, मांगने वाले और वंचित में यह शर्त नहीं है कि वह ईमान वाले और मुसलमान हों, इसमें कोई शर्त न लगाना यह बताता है कि मांगने वाले और वंचित का कोई भी धर्म हो उसकी सहायता की जाएगी। यह अल्लाह का आदेश है और सदैव हर वंचित गरीब की सहायता करना जन्नती होने की निशानी है।

ध्यान योग्य है कि इस आर्थिक इबादत का उल्लेख पवित्र क़ुरआन ने इन शब्दों में किया "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ" अर्थात यह लोग जिन ग़रीबों और वंचितों पर ख़र्च करते हैं उन पर कोई उपकार नहीं होगा, बल्कि ख़ुदा के दिये हुए धन में उनका भी अधिकार है, और हक़दार का हक़ उसको पहुंचा देना कोई उपकार नहीं हुआ करता, बल्कि एक कर्तव्य और ज़िम्मेदारी का बेझ उतारना होता है।

खाना खिलाना जन्नती होने की निशानी

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

(سورة الدهر :8)

"और वह लोग ख़ुदा की मुहब्बत से ग़रीब, अनाथ और क़ैदी को खाना खिलाते हैं।"

इस आयत में भी 'मिस्कीन' (ग़रीब) 'यतीम' (अनाथ) और 'असीर' (क़ैदी) का शब्द आम है, अर्थात किसी भी बेसहारा और वंचित की सहायता करना इस्लाम की दृष्टि में अच्छे और नेक होने की एक शर्त है। जिसके दिल में दया नहीं

है और अनाथ व बेसहारा मनुष्य पर मानवता के रिश्ता से दया नहीं करता वह वास्तव में सच्चा पक्का और नेक मुसलमान नहीं है। अर्थात अच्छे और नेक लोग वह हैं जो दुनिया में ग़रीबों, अनाथों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं, इसलिये क़ैदी चाहे काफ़िर हो उसको खाना खिलाना पुण्य का काम है।

अतिथि-सत्कार ईमान की निशानी

"عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ." (البخاری:906/2)

"हज़रत अबू शुरैह काबी रज़िल्लाह उन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिये कि अपने अतिथि का आदर-सत्कार करे।"

मेहमान नवाज़ी अर्थात अतिथि का आदर-सत्कार करना शरीअत की दृष्टि में यह है कि जब कोई अतिथि आए चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके साथ उदारता, सुशीलता और हंसमुख चेहरे के साथ पेश आए, उसके साथ मधुरता, कोमलता और दया-भाव के साथ बातचीत करे और उसको तीन दिन तक इस प्रकार से खिलाए पिलाए कि पहले दिन तो अपनी क्षमता के अनुसार उत्तम आदर-सत्कार करे, शर्त यह है कि उसके कारण अपने रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों के अधिकारों का हनन न हो, और बाद के दो दिनों में बिना किसी संकोच के जो कुछ उपस्थित हो उसके सामने प्रस्तुत कर दे ताकि दोनों (मेहमान और मेज़बान) पर कोई बोझ

न हो और फिर तीन दिन के बाद भी अगर मेहमान ठहरा रहे तो उसको खिलाना पिलाना दान-पुण्य के आदेश में होगा, जिस पर नि:संदेह सवाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश यह है कि मुसलमान हर अतिथि का आदर-सत्कार करे चाहे उसका कुछ भी धर्म हो। अल्लाह के नबी के पास मुसलमान अतिथि भी आते थे, और ग़ैर-मुस्लिम भी। आप दोनों के आदर-सत्कार में जो कर सकते थे वह करते थे। उम्मत को इसी का आदेश दिया है, बल्कि अतिथि-सत्कार को अच्छे और पक्के मुसलमान होने की निशानी बताया है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अधिक संख्या में ग़ैर-मुस्लिम अतिथि आया करते थे, और आप हर आने वाले के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आते, और उसके सम्मान के अनुसार बल्कि उसकी कल्पना से कहीं अधिक अच्छा व्यवहार करते।

ग़ैर-मुस्लिम का अतिथि-सत्कार

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرٰى فَشَرِبَهُ، حَتّٰى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَأَسْلَمَ." (الترمذي:4/2)

"हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां एक ग़ैर-मुस्लिम मेहमान आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध दूहने का आदेश दिया, उसने वह दूध पी लिया, फिर दूसरी बकरी के बारे में आदेश दिया, उसने वह

दूध भी पी लिया, फिर एक और के बारे में आदेश दिया वह इसको भी पी गया, यहां तक कि उसने सात बकरियों का दूध पी लिया, सुबह को उसने इस्लाम क़बूल कर लिया''

इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरख़्वान सब के लिये खुला रहता था, मोमिन और ग़ैर-मोमिन की कोई विशेषता न थी, सब के लिये आम था, आप सबकी उसके व्यक्तित्व के अनुसार मामला फ़रमाते थे और जो ग़ैर-मुस्लिम आप के निकट आता वह आप के कृपालू चरित्र से प्रभावित हुए बिना न रहता, कुछ लोग आप के अच्छे व्यवहार को देखकर इस्लाम भी क़बूल कर लेते थे

ग़ैर-मुस्लिम मेहमानों का मस्जिद-ए-नबवी में ठहरना

9 हिज्री में ताइफ़ के लोगों का प्रतिनिधिमण्डल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तो आप ने उनके सरदार 'अब्द यालील' को जो मूर्तिपूजक थे, पूरे प्रतिनिधिमण्डल के साथ मस्जिद-ए-नबवी के अंदर ठहरने की अनुमति दी और उन लोगों के लिये मस्जिद के प्रांगण में ख़ेमे लगवा दिये, नमाज़ और भाषण के समय यह लोग उपस्थित रहते थे, हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ के बाद उनके पास तशरीफ़ लाते और बहुत देर तक उनसे बातें करते रहते, मक्का में वर्षों तक जो जो यातनाएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली थीं उनका ज़िक्र करते, धर्मयुद्धों के बारे में बातें करते, अर्थात बहुत शिष्टाचार एवं

विनम्रता का व्यवहार उनके साथ करते रहे, हालांकि यह वही लोग थे जिन्होंने पत्थर मार-मार कर ख़ुदा के इस रसूल को अपने शहर से निकाला था, जब वह उनको ख़ुदा का संदेश सुनाने गए थे।

ईसाई मेहमानों के साथ अति सहिष्णुता

9 हिज्री में नजरान का प्रतिनिधिमण्डल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ। नजरान मक्का और यमन के बीच एक क्षेत्र है जो ईसाइयों से आबाद था। यह क्षेत्र अपने एक विशाल चर्च के कारण तमाम अरब में प्रसिद्ध था, जिसको ईसाई मक्का के पवित्र हरम का प्रतिद्वंद्वी समझते थे, यह प्रतिनिधिमण्डल साठ बड़े बड़े पादरियों पर आधारित था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद के प्रांगण में उतारा, उनकी नमाज़ का समय आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद-ए-नबवी ही में उनको ईसाई धर्म के अनुसार 'बैतुल-मुक़द्दस' (यरूशलेम) की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी और उन्होंने पूर्ण संतोष एवं शांति के साथ नमाज़ अदा की।

आज दुनिया जो भी कहे, मगर सच्चाई यह है कि दुनिया के पूरे इतिहास में इस्लाम से अधिक मानवीय, मानवता का हितैषी और मानवाधिकार का पालन करने वाला न कोई धर्म है और न किसी सिद्धांत में इतनी व्यापकता है जो समस्त संसार की मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, इस्लाम और इस्लामी शिक्षाएं हमेशा से उज्जवल हैं और उज्जवल रहेंगी। समय बीतने के साथ इसकी चमक में न कोई अंतर आया है, न आ सकता है। मुसलमानों को अपना जीवन हज़रत मुहम्मद

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा की रौशनी में ढालना चाहिये और हर मनुष्य के साथ मानवता के सम्बंध का आदर करते हुए अच्छे व्यवहार का मामला हर स्तर पर करना चाहिये ताकि इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा सके और इस्लाम के विरोधियों के गलत प्रोपेगंडे का तोड़ हो सके

❑❑